

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्र./प्रशि./2015/ 72

भोपाल, दिनांक 13/02/2015

आदेश

विभागीय स्टाफ नर्सों को दिनांक 02.03.15 से 03 माह तक की अवधि में सीएमसी वैल्लूर में निम्नानुसार विभिन्न विधाओं में आयोजित प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु नामांकित किया जाता है:-

क्र.	स्टाफ नर्स का नाम	पदस्थापना स्थान	प्रशिक्षण विधा का नाम	मोबाईल नं.
1	सुनिता शुक्ला	जिला चिकि. अनूपपुर	आईसीयू प्रशिक्षण	9993809714
2	कविता राठौर	जिला चिकि. अनूपपुर	आईसीयू प्रशिक्षण	9630849857
3	रानू सिंह	जिला चिकि. अनूपपुर	आईसीयू प्रशिक्षण	9713791749
4	सविता शुक्ला	जिला चिकि. शीवा	आईसीयू प्रशिक्षण	9993407842
5	संगीता कुशवाह	जिला चिकि. शीवा	आईसीयू प्रशिक्षण	9098998403
6	ज्योति साहू	जिला चिकि. भिण्ड	आईसीयू प्रशिक्षण	9713010426
7	भावना दीवान	जिला चिकि. भिण्ड	आईसीयू प्रशिक्षण	8989099223
8	रबीटी वर्गिस	जिला चिकि. सीहोर	ओटी प्रशिक्षण	9407271964
9	प्रिस्टी एलेम्मा वर्गिस	जिला चिकि. सीहोर	ओटी प्रशिक्षण	8827849699
10	मधु शुक्ला	जिला चिकि. शीवा	ओटी प्रशिक्षण	9179339286
11	प्रियंका द्विवेदी	जिला चिकि. शीवा	ओटी प्रशिक्षण	9039110040
12	पूणिमा सिंह	जिला चिकि. शीवा	ओटी प्रशिक्षण	9074505150
13	रीतु निकुरे	जिला चिकि. बालाघाट	ओटी प्रशिक्षण	9424969312
14	लीना ब्रह्मे	जिला चिकि. बालाघाट	ओटी प्रशिक्षण	9981154741
15	एम.एस. अब्राहम	जिला चिकि. भोपाल	ड्रामा प्रशिक्षण	8819075882
16	आशा डेहरिया	जिला चिकि. उज्जैन	ड्रामा प्रशिक्षण	9424749895
17	नीलिमा यादव	जिला चिकि. भोपाल	ड्रामा प्रशिक्षण	9827486678
18	सविता मरावी	जिला चिकि. गुना	ड्रामा प्रशिक्षण	8269317607
19	वीना राय	जिला चिकि. गुना	ड्रामा प्रशिक्षण	9407030863
20	हारका झरवड़े	जिला चिकि. इंदौर	ड्रामा प्रशिक्षण	9826078193 (CS)
21	ज्योति केदार	जिला चिकि. इंदौर	ड्रामा प्रशिक्षण	9826078193 (CS)

उपरोक्तानुसार सूची में दर्शायी समस्त नामांकित स्टाफ नर्स दिनांक 02.03.2015 को अनिवार्य रूप से अपनी उपस्थिति संचालक, कॉलेज ऑफ नर्सिंग, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, वैल्लूर-632004 को प्रस्तुत करेंगे।

- प्रशिक्षणार्थियों के भोजन/ठहरने की व्यवस्था संचालक, कॉलेज ऑफ नर्सिंग, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, वैल्लूर द्वारा की जावेगी।
- प्रशिक्षणार्थियों को यात्रा/दैनिक भत्ता शासकीय नियमानुसार उनके पदस्थापना स्थल से भुगतान किया जावेगा।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत ही संबंधित स्टाफ नर्स को वापस इयूटी पर उपस्थित कराया जावेगा।
- किसी अपरिहार्य परिस्थिति में यदि नामांकित स्टाफ नर्स को प्रशिक्षण हेतु कार्यमुक्त किया जाना संभव न हो तो उसके स्थान पर जिले में कार्यरत अन्य नियमित स्टाफ नर्स को नामांकित कर उसकी सूचना अधोहरताकर्ता को भेजी जावे।
- सूची में दर्शाये गये समस्त नामांकित प्रशिक्षणाधी अपने साथ आई.डी. प्रूफ, आधार कार्ड (उपलब्धतानुसार), 12वीं पास का प्रमाण पत्र, नर्सिंग प्रशिक्षण (पी.एस.सी./जी.एन.एम.) का प्रमाण पत्र, नर्सिंग पंजीयन प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं नवीनतम (03) पासपोर्ट साईज का फोटो साथ लेकर प्रशिक्षण में उपस्थित होंगे।
- प्रशिक्षणार्थियों के इस प्रशिक्षण से अनुपस्थित रहने की दशा में उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- इस प्रशिक्षण हेतु संचालक, कॉलेज ऑफ नर्सिंग, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, वैल्लूर को निर्धारित प्रशिक्षण शुल्क राशि का भुगतान नियमानुसार इस विभाग द्वारा देय होगा।

(डॉ० बी०एस० ओहरी)

संचालक (प्रशिक्षण)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पु. क्र./प्रशि./2015/.

भोपाल, दिनांक /02/2015

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित/प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल।
2. स्वास्थ्य आयुक्त मध्यप्रदेश।
3. संचालक, एन.आर.एच.एम. बैंक ऑफ इंडिया, अरेरा हिल्स, भोपाल।
4. अपर संचालक, प्रशासन/वित्त संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
5. संचालक, कॉलेज ऑफ नर्सिंग, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, वैल्लूर।
6. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, रीवा, ग्वालियर, भोपाल, सागर, इन्दौर एवं जबलपुर, म.प्र.।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक अनूपपुर, रीवा, भिण्ड, सीहोर, सिवनी, भोपाल, गुना, उज्जैन एवं इंदौर म.प्र. की ओर भेज कर लेख है कि आप कृपया आदेश में दर्शाये अनुसार आपके अधीन कार्यरत नामांकित स्टाफ नर्स को तत्काल प्रभाव से नियत दिनांक एवं समय पर कार्य मुक्त करें।
8. समस्त संबंधित स्टाफ नर्स (संलग्न सूची अनुसार) की ओर पालनार्थ।

संचालक (प्रशिक्षण)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश